

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 39

दिनांक :-23.12.2020

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- खरवा प्रथम

तहसील :- मसूदा

क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार मसूदा के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि				नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
			ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	158/2020	5601 27.10.2020	गुवाडिया सूरजपुरा	6071/5833 6109	5.9866 है 5.2909 है	बरडा बरडा	6071/5833/1 6109/1	0.2832 है 0.2023 है	गै.मु. रास्ता
2	159/2020	5603 27.10.2020	सूरजपुरा	7040/6817 7056/6755 6287	5.7439 है 9.9750 है 1.2620 है	गै.मु चंटान — —	7040/6817/1 7056/6755/1 6287/1	0.4045 है 0.6472 है 0.1820 है	गै.मु. रास्ता
3	162/2020	5599 27.10.2020	गुवाडिया	5947/5809	38.7996 है.	गै.मु चंटान	5947/5809/1	0.5259 है	गै.मु. रास्ता
4	163/2020	5600 28.10.2020	काशीपुरा	619/603 468 503	73.0365 है 1.1731 है. 7.6046 है	गै.मु पहाड बाउससर गै.मु. पहाड	619/603/1 468/1 503/1	0.6310 है. 0.0647 है. 0.0323 है.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

